तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	रामपाल बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर **136/10 (जीसीएमएस नम्बर 2010/00033)**
27.07.21	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट उपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही है। प्रकरण में रूक–रूककर फिर से कई बार आवाज दिलवाई गई किन्तु अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही आये है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2010 से विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता अपीलान्ट पूर्व में भी कई बार अनुपस्थित रहे है और उन्हे अंतिम अवसर भी दिया गया है उसके उपरान्त आज भी अपीलान्ट की ओर से न्यायालय के समक्ष कोई भी उपस्थित नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट अदम–हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जानी उचित प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें तथा पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (दिनेश कुमार शर्मा) संभागीय आयुक्त, जयपुर।